



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/ 1(13)/2023/ 41790-41889

दिनांक:- 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री अमरेश कुमार, मल्टी टास्किंग स्टाफ को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 2 (पूर्व संशोधित पी.बी -1, ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 1,900) में सहायक रिकॉर्ड कीपर के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती आर एंड आई शाखा, मुख्यालय में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति की तारीख से छह महीने के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर उन्हें उनके मूल पद पर पुनः वापस किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति एवं कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति तैनाती स्थान पर अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार सहायक रिकॉर्ड कीपर के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

जयप्रकाश चतुर्वेदी
17.10.2023
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.), मुख्यालय – ehrrms में अपलोड करने हेतु।
8. सम्बंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/41890-41989

दिनांक 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, **श्री कर्मबीर सिंह राणा**, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में अनुभाग अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल** में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

जयप्रकाश चतुर्वेदी
17-10-2023

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. संबंधित सहायक (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

मंत्रालय शिक्षा, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/41390-41489 दिनांक 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती अराधना माथुर (DOR - 31.03.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्री सतीश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
3.	श्रीमती अनीता यादव	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, देहारादून
4.	श्री अविनाश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
5.	श्री राजू मौर्या	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
6.	श्रीमती दीपा वशिष्ठ	विधि शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
7.	श्री दीवान चंद	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
8.	सुश्री आरती	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
9.	श्री मिथिलेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंथपुरम
10.	श्री मनीष कुमार	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंथपुरम
11.	श्रीमती लिवोन ग्रेस कॉम	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
12.	श्री अनिर्वन साहा	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

जयप्रकाश चतुर्वेदी
17.10.2023
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।

जारी है....



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

मंत्रालय शिक्षा), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

7. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. संबंधित सहायक (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/41690-41789 दिनांक: 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 4 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-1, ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन - ₹2400/-) में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री सत्य प्रकाश गोयर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
2.	श्री नागेन बरुआ	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
3.	श्री पूनम चंद	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
4.	श्री अनिल वर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
5.	श्री बिजेंद्र सिंह	हिंदी एकक, मुख्यालय	हिंदी एकक, मुख्यालय
6.	श्री नरेश पाल	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
7.	श्री राजेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
8.	श्री महेंद्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
9.	श्री धुरेंदर	प्रशासन II & III, मुख्यालय	प्रशासन II & III, मुख्यालय
10.	श्री भक्ति राम बरला	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
11.	श्री अनिल कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

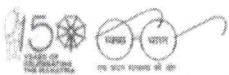
उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों/शाखा-प्रभारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त कर्मचारियों का कार्यभार उनकी पदोन्नति पर परिवर्तित कर भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय को सूचित करें।


(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. संबंधित सहायक (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22609758-59 22611807-08 Website: www.cbse.gov.in www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/41590-41689 दिनांक: 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक (फ्लीट) को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 5 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-1, ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन - ₹2800/-) में वरिष्ठ सहायक (फ्लीट) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री प्रदीप कुमार	अध्यक्ष कार्यालय	अध्यक्ष कार्यालय
2.	श्री रवि कान्त शर्मा	निदेशक (शैक्षणिक) कार्यालय	निदेशक (शैक्षणिक) कार्यालय
3.	श्री बनारसी दास	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(1)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक (फ्लीट) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
17.10.2023

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. संबंधित सहायक (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. / भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/ 41490-41598 दिनांक:- 17.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक (कॉपीयर) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पी.बी -2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4,200) में अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री रामबीर सिंह-II	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	श्री तेज राम	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 20.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति एवं कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति तैनाती स्थान पर अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं. के.मा.शि.बो. / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी को समूह 'सी' से समूह 'बी' में अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त कर्मचारियों का कार्यभार उनकी पदोन्नति पर परिवर्तित कर भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय को सूचित करें।

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
17-10-2023

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए / संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र/ ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.), मुख्यालय - ehrms में अपलोड करने हेतु।
8. सम्बंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैन फाइल / सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/40990-41089 दिनांक 13.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹5400/-) में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुषमा ग्रोवर (DOR - 31.07.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
2.	श्री रविंदर कुमार (DOR - 30.11.2023)	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	गोपनीय शाखा, मुख्यालय
3.	श्री दिलीप दास	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
4.	श्रीमती वीना गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
5.	श्री शम्भू प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	ACCPD, रायबरेली
6.	श्री रंजीत कुमार	उत्कृष्टता केंद्र, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
7.	श्रीमती रजनी बाला सचदेवा (DOR - 30.04.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
8.	श्री जबर सिंह (DOR - 30.06.2024)	सीटीईटी & विविध परीक्षा एकक	सीटीईटी & विविध परीक्षा एकक
9.	श्री बी. रमन (DOR - 31.10.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
10.	श्री वी.के. जयरामन (DOR - 31.12.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
11.	श्रीमती के. जयलक्ष्मी (DOR - 31.01.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
12.	श्री के.वी. मोहनन	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
13.	श्रीमती नवनीता सरमाह	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
14.	श्री मनोज कुमार	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	सतर्कता शाखा, मुख्यालय (till further order)
15.	श्री प्रांजल साइकिआ	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
16.	श्री निशांत कुमार गोयल	जनसंपर्क शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
17.	श्री सुनीत शर्मा	कौशल शिक्षा एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
18.	श्री सतीश कुमार भोरिआ	रखरखाव शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
19.	श्री राजेंद्र कुमार	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
20.	श्रीमती गीता देवी (DOR - 30.06.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	रजिस्टर्ड ऑफिस, अजमेर
21.	श्रीमती के. गीता	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम
22.	श्री सुरेन्द्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
23.	श्री प्रशांत कुमार गोयल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
24.	श्री अजय कुमार माहेश्वरी	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
25.	श्री तेज कुमार वर्मा	उत्कृष्टता केंद्र, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
26.	श्री मनीष पांडला	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय (till further order)
27.	श्री घनश्याम	शैक्षणिक एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

जे.पी.सी.
13/10/23



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन((An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
28.	श्री प्रेम चंद शर्मा	प्रशिक्षण एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
29.	श्री कैलाश चंद	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
30.	श्री नारायण खुशलानी	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
31.	श्री रवि प्रकाश	कार्मिक - ब, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
32.	श्रीमती एस. निर्मला	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
33.	श्रीमती विश्वभारती	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
34.	श्रीमती संदीपा माथुर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
35.	श्रीमती एच. अन्नापूर्नी	उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई	प्रमुख, COE, थिरुवनंतपुरम
36.	श्रीमती गीता बी.	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
37.	श्री मदन मोहन	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
38.	श्री रामानुज प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 18.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

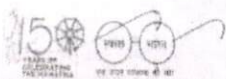
TA/DA नियमानुसार देय होगा।

अप्रकाश चतुर्वेदी
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
13. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/40890-989

दिनांक 13.10.2023

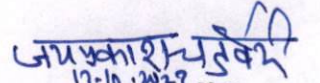
कार्यालय आदेश

दिनांक 12.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती स्वाति गुप्ता, उप सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, ₹37400-67000+ ग्रेड वेतन- ₹8700/-) में संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती प्रशिक्षण एकक, मुख्यालय में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 18.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 20.10.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 20.10.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

श्रीमती स्वाति गुप्ता की संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति अस्थायी (provisional) होगी बशर्ते कि वह उस पद पर स्थायी हो जाए जिस पर उन्हें बोर्ड में नियुक्त किया गया था।


13-10-2023
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/40790-889

दिनांक: 13.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित पी.बी -4, ₹37400-67000 + ग्रेड वेतन - ₹ 8700) में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्रीमती पूनम रानी	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	गोपनीय शाखा, मुख्यालय (till further order)
2.	श्री मनीष अग्रवाल	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय (till further order)
3.	श्री श्याम कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर (till further order)

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 18.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

जयप्रकाश चतुर्वेदी
13/10/2023
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. अवर सचिव (आई.टी.)- ehms में अपडेट करने हेतु।
8. सम्बंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बंधित सहायक (एपीएआर/ सतर्कता / जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/41090-41189 दिनांक 13.10.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.10.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सचिवों को 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹5400/-) में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नविन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

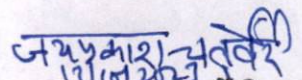
क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री सुनील कुमार	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्री शेखर कुमार सिंह	उत्कृष्टता केंद्र, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, भुबनेश्वर
3.	श्री ललित कटारिया	परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
4.	श्री हरिधन दास	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
5.	श्री आर.एस. वेंकटेशन	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
6.	श्रीमती मिनाक्षी कवात्रा	व्यावसायिक परीक्षा एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
7.	श्री राज पाल सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
8.	श्री वी. सावित्री	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
9.	श्रीमती रेशमा	संयुक्त सचिव (आई.टी. (प्रशा.)) का कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
10.	श्री बृजेश कुमार	शैक्षणिक एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
11.	श्री शम्भू कान्त रे	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, मुख्यालय
12.	श्रीमती प्रेम लता	सीटीईटी & विविध परीक्षा एकक	सीक्रेट यूनिट, मुख्यालय
13.	श्री राकेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
14.	श्री प्रकाश चंद मीणा	पंजीकृत कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 18.10.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 30.10.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(II)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/संयुक्त सचिव (संबद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
के.मा.शि.बो./भर्ती.प्रकोष्ठ/1(13)/2023/ 37655-754 दिनांक: 14.06.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.05.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित वेतनमान पी.बी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹6600/-) में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री ललित कुमार हिमांशु	समन्वय शाखा, मुख्यालय	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, भुबनेश्वर
2.	श्री चुन्नी लाल (सेवा निवृत्ति - 30.04.2025)	सी. टी. ई. टी. एकक	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 16.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के अवर सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

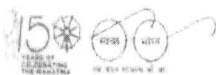
टी.ए / डी.ए नियमानुसार देय होगा।

अनुराग त्रिपाठी

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सी.वी.ओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आई.ए.एफ.ए / संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. सहायक सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. संबंधित डी.डी.ओ।
8. सम्बंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केंद्र", 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/36953-052 दिनांक: 13.06.2023

कार्यालय आदेश

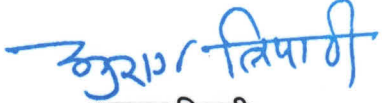
दिनांक 12.06.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिवों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 12 (पूर्व संशोधित पी.बी - 3, ₹15600-39100+ ₹7600) में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्रीमती सीमा खाखा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला
2.	श्रीमती स्निग्धा घोष (सेवानिवृत्ति की तारीख - 31.05.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
3.	श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्ति की तारीख - 30.06.2025)	व्यावसायिक शाखा, मुख्यालय	व्यावसायिक शाखा, मुख्यालय
4.	श्रीमती अरविंदर कौर (सेवानिवृत्ति की तारीख - 28.02.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
5.	श्रीमती निशा श्रीवास्तव (सेवानिवृत्ति की तारीख - 31.12.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
6.	श्रीमती सुनीता कश्यप	हिंदी एकक, मुख्यालय	ए.सी.सी.पी.डी., राय बरेली
7.	श्रीमती उषा नेगी	क्षेत्रीय कार्यालय, नौएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8.	श्री पी. रमेश (on adhoc basis)	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 15.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें 19.06.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उक्त अधिकारियों के दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

क्रमांक 1, 6 एवं 7 को टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrrms में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2. समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/ 1(13)/2023/36753-852

दिनांक:- 13.06.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.06.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती पूजा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹5,400/-) में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती के.मा.शि.बो., मुख्यालय, दिल्ली की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 15.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें 19.06.2023 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stand relieved) माना जाएगा। उक्त अधिकारी के दिनांक 19.06.2023 (अपराहन) तक कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं. के.मा.शि.बो./कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।



(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrrms में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2. समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2. COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.): 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/ 1(13)/2023/37153-252

दिनांक:- 13.06.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.06.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों (सूचना प्रौद्योगिकी) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 11 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹6600/-) में अवर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री कृष्ण मुरारी	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
2.	श्रीमती दिव्या भारद्वाज	आई टी एंड प्रोजेक्ट शाखा, मुख्यालय	आई टी एंड प्रोजेक्ट शाखा, मुख्यालय
3.	श्रीमती साक्षी डावर	संबद्धता शाखा एवं प्रशासन-II, मुख्यालय	संबद्धता शाखा एवं प्रशासन-II, मुख्यालय
4.	श्री धीरज मलिक	शैक्षणिक शाखा, राउज़ एवेन्यू	शैक्षणिक शाखा, राउज़ एवेन्यू
5.	श्रीमती श्वेता बी. लाकरा	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 15.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उक्त अधिकारियों के दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

क्रमांक 1 एवं 5 को टीए / डीए नियमानुसार देय होगा।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrs में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केन्द्र 2, समुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/37053-152

दिनांक: 13.06.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.06.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों (शैक्षणिक /कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित पी.बी -4, ₹37400-67000 + ₹8700) में संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा /प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्रीमती अर्चना ठाकुर	कौशल शिक्षा, राउज़ एवेन्यू	कौशल शिक्षा, राउज़ एवेन्यू
2.	सुश्री अंजलि	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, चंडीगढ़	शैक्षणिक- आकलन, राउज़ एवेन्यू

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 15.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें 19.06.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उक्त अधिकारियों के दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

क्रमांक 2 को टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrrms में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/36853-952

दिनांक : 13.06.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.06.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित पी.बी -4, ₹37400-67000 + ₹ 8700) में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री विजय सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला (अगले आदेश तक)
2.	श्रीमती श्वेता अरोड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
3.	श्री तरुण कुमार	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, पटना	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, पटना (अगले आदेश तक)
4.	श्री थोंगखोलेट माटे	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 15.06.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें 19.06.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उक्त अधिकारियों के दिनांक 19.06.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता)/संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrrms में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011 22593256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



No. CBSE/Rectt. Cell/1(13)/2023/36270-36369

Dated 19.05.2023

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 16.05.2023 and subsequent approval by the Controlling Authority of the Board, Dr. Praggya M. Singh, Joint Secretary (Academics) is hereby promoted to the post of Director (Academics/Training/Skill Education) in Pay Level- 13A of 7th CPC (pre-revised PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8900/-).

She is directed to give her consent for joining the post till 22.05.2023 to the Joint Secretary (A&L). She is also directed to give her pay fixation option under FR (I)(a)(1) within one month of her joining the new post.

Anurag Tripathi

(ANURAG TRIPATHI)
SECRETARY

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE
2. CVO/ All HoDs / Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L) / IAFA, CBSE
4. All the Regional Officers / Heads of CoEs of the Board
5. DDO concerned
6. Assistant Secretary (IT) – for uploading the same on ehrms Portal
7. All officers of the Board upto the level of Section Officer
8. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
9. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
10. DA (APAR/Vig./GSLI)
11. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation
12. Individual concerned
13. Personal file of the incumbent
14. Scrap file/Notice Board



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1(13)/2023/34839-34938 दिनांक:- 03.05.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.05.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 11 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹6600/-) में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री सुंदर (सेवा निवृत्ति - 30.04.2025)	व्यावसायिक शाखा, मुख्यालय	व्यावसायिक शाखा, मुख्यालय
2.	श्रीमती रेखा सारस्वत	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु
3.	श्री मनोज कुमार पाठक	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
4.	श्रीमती कमलेश	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
5.	श्रीमती वी. अरुणा	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, विजयवाड़ा (प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई के अतिरिक्त प्रभार के साथ)
6.	श्री विजय पाल सैनी	शैक्षणिक शाखा, मुख्यालय	अवर सचिव, उत्कृष्टता केंद्र, अजमेर
7.	श्री दिलीप दास	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, भुवनेश्वर
8.	श्रीमती वीना गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला
9.	श्री देवेंद्र राजन (सेवा निवृत्ति - 31.01.2024)	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
10.	श्रीमती सुषमा खन्ना (सेवा निवृत्ति - 30.04.2025)	उत्कृष्टता केंद्र, नोएडा	अवर सचिव, उत्कृष्टता केंद्र, नोएडा
11.	श्रीमती सुमन मित्तल	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
12.	श्री पंकज क्षेत्री (यू.पी.एस.सी., नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर)	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
13.	श्री सत्य सरोज	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	अवर सचिव, उत्कृष्टता केंद्र, थिरुवनंतपुरम
14.	श्री बीरू टुडू	उत्कृष्टता केंद्र, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 08.05.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 09.05.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 09.05.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के अवर सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

क्रमांक 1, 9 एवं 10 को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को टीए / डीए नियमानुसार देय होगा।

(हस्ताक्षर)

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएएफए / संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.) / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. सहायक सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. संबंधित डीडीओ।
8. सम्बंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर) / सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2 समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA, 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

न: के.मा.शि.बो./भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2023/34251-350

दिनांक:- 21.04.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 19.04.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री कमल सिंह	व्यवसायिक परीक्षा शाखा	व्यवसायिक परीक्षा शाखा
2.	श्री अशोक कुमार-II	व्यवसायिक परीक्षा शाखा	व्यवसायिक परीक्षा शाखा
3.	श्री अभिजीत मंडल	उत्कृष्टता केन्द्र, प्रयागराज	उत्कृष्टता केन्द्र, प्रयागराज
4.	श्री विकास	भर्ती शाखा, मुख्यालय	कार्मिक-अ, मुख्यालय
5.	श्री अमर नाथ झा	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
6.	श्री आर. एस. अनीश	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
7.	श्री दिलीप कुमार मीना	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपरोक्त कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

उनकी पदोन्नति तैनाती के सम्बंधित स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमों के अनुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उनको FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अधीक्षक के पद पर पदोन्नति उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर देने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं. सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार वे समूह 'स' से समूह 'ब' के अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

(Handwritten signature)

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

- अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
- सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
- आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
- बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
- अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
- सहायक सचिव (आई.टी.)- अपलोड करने हेतु।
- संबंधित डी.डी.ओ।
- सम्बंधित व्यक्ति।
- अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
- अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
- पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
- स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/1(13)/2023/34151-250

दिनांक:- 19.04.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 19.04.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री सत्यवीर सिंह	बी. एंड सी. शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
2.	श्री राधाकृष्ण कोंडापल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 21.04.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें 26.04.2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stand relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 26.04.2023 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)- ehrs में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
13. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22500256-59 22041807-08 Website: www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2023/ 34126-150

Dated: 19.04.2023

OFFICE ORDER

The Competent Authority, after due consideration, has transferred Smt. Madhu Bala, Personal Assistant from Legal Cell, Headquarters to Academics Unit, Delhi with immediate effect.

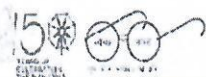
She is directed to join at her new place of posting and submit her joining report to Administration (Headquarters).

This issues with the approval of Competent Authority.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary (Pers.)

Distribution:-

1. SPS to Secretary, CBSE for kind information of Secretary, CBSE.
2. Joint Secretary (A&L)/ Joint Secretary (IT).
3. All the officers of concerned Branches/Units.
4. Assistant Secretary (IT) – for updation in eHRMS.
5. Individual concerned.
6. DA (APAR/Vig./GSLI).
7. Personal file of the incumbent.
8. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation.
9. Scrap file/Guard File/Notice Board.



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली- 110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI- 110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08. Website : www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2023/33892-991

Dated: 17.04.2023

OFFICE ORDER

The Competent Authority, after due consideration, has transferred Sh. Sanjay Kumar, Junior Engineer from Maintenance Unit, Headquarters to Maintenance Unit, Staff Quarters at Brij Vihar with immediate effect.

He is directed to join at his new place of posting and submit his joining report to Administration (Headquarters).

This issues with the approval of the Competent Authority.


(Sanjay Kumar)
Under Secretary (Pers.)

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Chairperson, CBSE.
2. CVO/ All Heads of Departments/ Regional Directors of the Board.
3. IAFA/ Joint Secretary (A&L)/ Joint Secretary (Affiliation)/ Joint Secretary (Coordination)/ Joint Secretary (IT).
4. All the Regional Officers/ Head of COEs of the Board.
5. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
6. DDO concerned.
7. Assistant Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
8. Individual(s) concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association.
11. DA (APAR/Vig./GSLI).
12. Personal file of the incumbent.
13. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation.
14. Scrap file/Guard File/Notice Board.



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली- 110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI- 110092

Phone (off.) : 011-22509256-59. 22041807-08. Website : www.cbse.gov.in. www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1(13)/2023/ 33352-51

दिनांक:- 11.04.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 11.04.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4,600/-) में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्रीमती पूजा चावला	शैक्षणिक शाखा, राउज एवेन्यू	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्रीमती अल्का जोशी	शैक्षणिक शाखा, राउज एवेन्यू	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
3.	श्री प्रदीप शाह	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	निदेशक कार्यालय, कौशल शिक्षा

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 13.04.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 19.04.2023 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 19.04.2023 (अपराहन) तक कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।



(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. सहायक सचिव (आई.टी.)-eHRMS में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (तैली) : 011-22509756, 225041807, 225041808 Website: www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. / भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/२३१९-२५१८

दिनांक:- ०६.02.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री हरेश कुमार, अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को 08.02.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा दिनांक 13.02.2023 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 13.02.2023 (अपराहन) तक कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. विश्लेषक (आई.टी.)-eHRMS में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, माध्यमिक केन्द्र, पीत विहार, दिल्ली- 110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI- 110092

Phone (011) 23260255 to 23261997 or Website : www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2023/1311-1410

दिनांक:- 25.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री महबूब खान	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
2.	श्री संजीव कुमार सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	श्री नरेंद्र टाक	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय

उपरोक्त कर्मचारियों को 27.01.2023 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा दिनांक 30.01.2023 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के 30.01.2023 (अपराहन) तक कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।

8327 25/1/23

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. विश्लेषक (आई.टी.)-eHRMS में अपडेट करने हेतु।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
12. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
13. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केंद्र", 2, सामुदायिक केंद्र, पीत विहार, दिल्ली- 110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI- 110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/1(13)/2023/001-099 दिनांक:- 04.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्री योगेश विरमानी (UIDAI में प्रतिनियुक्ति पर)	आंतरिक ऑडिट विंग, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
3.	श्री विवेक पारीक	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
4.	श्रीमती मंजू कछावा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
5.	श्री मनोज कुमार सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
6.	श्रीमती सुनीता शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
7.	श्री डी. रमेश नाइक	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
8.	श्री कमलेश्वर	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

उपरोक्त कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।

अनुराग त्रिपाठी
4/1/23
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केंद्र", 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (office) : 011-27509255, 27509256, 27509257, 27509258 Website : www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

न: के.मा.शि.बो / भर्ती. प्रकोष्ठ/1(13)/2023/ 18586615-714

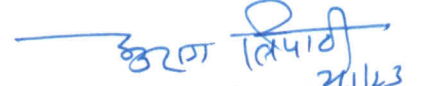
दिनांक:- 02.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री सुखबीर सिंह, मल्टी टास्किंग स्टाफ, संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) का कार्यालय को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 2 (पूर्व संशोधित पीबी-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1900/-) में कनिष्ठ सहायक (5% कोटा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती प्रशासन-II (स्टोर), मुख्यालय में की जाती है।

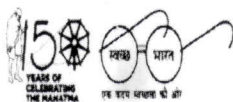
उपरोक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ सहायक (5% कोटा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए / संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डी.डी.ओ।
7. संबंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
12. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

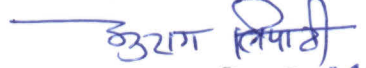
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या: के.मा.शि.बो./भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2023/18586515-614 दिनांक:- 02.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री महाबीर सिंह, तकनीकी पर्यवेक्षक को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4,600/-) में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती रख रखाव शाखा, मुख्यालय में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(अनुराग त्रिपाठी) 21/12/23
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)/ प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.): 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
संख्या : के.मा.शि.बो. / भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2023/ 18586715-814 दिनांक:- 02.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री आशीष कुमार गर्ग, लेखाकार, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4200/-) में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उनको नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

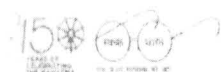
कार्यालय ज्ञापन सं. के.मा.शि.बो. / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी समूह 'स' से समूह 'ब' के वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।


21/1/23

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए / संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) / संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्ट्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2. सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22509256-59, 22041807-08 Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

न: के.मा.शि.बो /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2023/18586415-514

दिनांक:- 02.01.2023

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रम सं	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री अनिल कुमार	सी.टी.ई.टी. एकक	सी.टी.ई.टी. एकक
2.	कुमारी हिमशिखा	शैक्षिक यूनिट	शैक्षिक यूनिट
3.	श्री संदीप वर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
4.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
5.	श्रीमती सुनीता रॉय	पी. आर. यूनिट, मुख्यालय	पी. आर. यूनिट, मुख्यालय
6.	श्री संतोष कुमार यादव	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
7.	श्री कुलदीप सैनी	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
8.	श्री अन्दीप कुमार	रखरखाव यूनिट, मुख्यालय	रखरखाव यूनिट, मुख्यालय
9.	श्री राहुल सिंह	कार्मिक - ब, मुख्यालय	कार्मिक - ब, मुख्यालय
10.	श्री सूर्य प्रकाश वर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
11.	श्रीमती अंजू	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
12.	श्री महेंद्र कुमार	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय
13.	श्रीमती गंगा	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व)	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व)
14.	श्री देव राज	प्रशासन - II, मुख्यालय	प्रशासन - II, मुख्यालय
15.	श्री चन्दन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
16.	श्रीमती निधि कुमारी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
17.	श्री योगेश कुमार	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	प्रशासन-III, मुख्यालय
18.	श्री चन्दन कुमार पुत्र श्री मोती लाल प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
19.	श्री दिनेश कुमार मीना	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
20.	श्री अनुज मिंज	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
21.	श्री विजय कुमार	सी.ई कार्यालय, मुख्यालय	सी.ई कार्यालय, मुख्यालय
22.	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
23.	श्री दीपक कुमार	पी. आर. यूनिट, मुख्यालय	पी. आर. यूनिट, मुख्यालय
24.	श्री सुनील दत्त	रखरखाव यूनिट, मुख्यालय	रखरखाव यूनिट, मुख्यालय
25.	श्री उपेन्द्र कुमार ओझा	आर एंड आई, मुख्यालय	आर एंड आई, मुख्यालय
26.	श्री श्याम सुंदर शह	पी.ई यूनिट, मुख्यालय	पी.ई यूनिट, मुख्यालय
27.	श्री कृष्ण पाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)

अगले पृष्ठ पर जारी है...

21/1/2023



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





- 2 -





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

न: के.मा.शि.बो./भर्ती. प्रकोष्ठ/1(13)/2022/1858041-140

दिनांक:- 23.11.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 22.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित मल्टी टास्किंग स्टाफ को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 2 (पूर्व संशोधित पीबी-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1900/-) में कनिष्ठ सहायक (5% कोटा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री विनोद कुमार-III	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्री एच. केसवन	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
3.	श्री आशीष कुमार	कौशल शिक्षा शाखा	जन संपर्क शाखा, मुख्यालय
4.	श्री शेखलुम रामचियारी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
5.	श्रीमती उषा रानी	ए.सी. एंड बी. विंग, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
6.	श्री मोती चंद प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

उपरोक्त कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ सहायक (5%कोटा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डी.डी.ओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/1(13)/2022/1857941-040

दिनांक:- 23.11.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 22.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री मनीष मेहरा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
2.	श्री जे. संधाराज	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
3.	श्री वीरेंदर सिंह (सेवानिवृत्ति: 30.11.2023)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपरोक्त कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

क्र. संख्या 1 तथा 2 पर वर्णित कर्मचारियों को टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।


23/11

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
12. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Ph: 011-22500295, 22500296, 22500297, 22500298. Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. / भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2022/1857841-940

दिनांक:- 23.11.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 22.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, सुश्री रेहाना बेगम, वरिष्ठ सहायक (कॉपीयर), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4,200/-) में अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति पर तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उनको नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं. क.मा.शि.बो. / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी को समूह 'सी' से समूह 'बी' में अधीक्षक (कॉपीयर) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए /संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
12. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केन्द्र, 2, समुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off): 011-22509256-59, 22641807-08. Website: www.cbse.gov.in www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2022/1857120-219

Dated: 31.10.2022

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of Departmental Promotion Committee meeting held virtually on 31.10.2022 and subsequent approval by the Controlling Authority of the Board, the following Joint Secretaries are hereby promoted to the post of Director in Pay Level-13A of 7th CPC (pre revised PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8900/-). Their place of posting is indicated against each:-

S. No.	Name	Present posting	Posting on promotion
1.	Sh. Jitender Kumar Yadav	Regional Office, Delhi (East) with additional charge of CTET Unit (Under transfer to CTET Unit)	CTET Unit as Director
2.	Sh. Sanjib Das	O/o JS (A&L), Headquarters {(Under transfer to Regional Office, Delhi (East))}	Regional Office, Delhi (East) as Regional Director

The above officers are directed to give their consent to Joint Secretary (A&L) within three days from the date of issue of this order.

Their promotion will take effect from the date of joining/resuming charge of director at the respective place of posting failing which the offer of promotion shall automatically stand cancelled and they shall be debarred for promotion as per rules.

They are also directed to furnish their option towards fixation of pay on the post of Director on promotion within one month from the date of their joining the post in accordance to FR 22 (I)(a)(1).

This issues with the approval of Controlling Authority of the Board.

Anurag

(Anurag Tripathi)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE.
2. CVO, CBSE/All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. IAFA/Joint Secretary (A&L) /Joint Secretary (Affiliation) /Joint Secretary (Coordination) / Joint Secretary (IT)/ Head (Media & PR), CBSE.
4. All the Regional Officers/Head of CoEs of the Board.
5. All the officers up to the level of Section Officer.
6. DDO concerned.
7. Individual concerned.
8. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
9. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2022/1857020-119

Dated: 31.10.2022

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of Departmental Promotion Committee meeting held virtually on 31.10.2022 and subsequent approval by the Controlling Authority of the Board, Ms. Rama Sharma, Head (Media & PR) is hereby promoted to the post equivalent to Joint Secretary in Pay Level-13 of 7th CPC (pre revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 8900/-) and to the post equivalent to Director in Pay Level-13A of 7th CPC (pre revised PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8900/-) w.e.f. 31.10.2022. Ms. Rama Sharma is posted as Director in Media & PR Unit.

As Ms. Rama Sharma is presently drawing pay in Pay Level-14 of 7th CPC (pre revised PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 10,000/-) as a result of 3rd Financial Up-gradation under the provisions of MACP, therefore, her pay shall not be re-fixed. The above promotion is given as a one time measure and no claim of seniority shall be admissible.

The above officer is directed to give her consent to Joint Secretary (A&L) within three days from the date of issue of this order.

This issues with the approval of Competent Authority of the Board.

Anurag

(Anurag Tripathi)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE.
2. CVO, CBSE/All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. IAFA/Joint Secretary (A&L) /Joint Secretary (Affiliation) /Joint Secretary (Coordination) / Joint Secretary (IT)/ Head (Media & PR), CBSE.
4. All the Regional Officers/Head of CoEs of the Board.
5. All the officers up to the level of Section Officer.
6. DDO concerned.
7. Individual concerned.
8. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
9. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2022/1856455a-554a

Dated 17.10.2022

OFFICE ORDER

In partial modification of Office Order No. CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2022/1856455-554 dated 17.10.2022, the revised transfer order is as below:

S.No.	Name of Officer	Transfer from (Present Place of posting)	Transfer To (New Place of posting)
01	Sh. M.D. Dharmadhikari Director	Regional Director, Pune	Regional Director, Thiruvananthapuram
02	Sh. Jitender Kumar Yadav Director	Regional Director, Delhi East & Director, CTET	Director, CTET
03	Sh. Sanjib Das Joint Secretary	Joint Secretary Affiliation & (A&L)	Regional Officer, Delhi East
04	Sh. Ranber Singh Joint Secretary	Regional Officer, Bengaluru	Regional Officer Dehradun
05	Ms. Shvetta Arora Deputy Secretary	Regional Officer, Prayagraj	Regional Officer, Chandigarh
06	Sh. Shyam Kumar Deputy Secretary	Regional Officer, Chandigarh	Regional Officer, Ajmer
07	Sh. Vikas Kumar Agrawal Deputy Secretary	Regional Office, Thiruvananthapuram	Regional Officer, Bhopal
08	Sh. Ram Veer Deputy Secretary	Administration II & III CBSE HQ	Regional Officer, Pune
09	Sh. Lalit Kumar Kapil Deputy Secretary	Recruitment Cell, CBSE HQ	Regional Officer, Prayagraj
10	Sh. Thongkholet Mate Deputy Secretary	Regional Office, Guwahati	Regional Officer, Guwahati
11	Smt. Meenu Joshi Deputy Secretary	Regional Officer, Bhopal	Head, CoE, Chennai with additional charge of R.O., Visakhapatnam (A.P.)
12	Sh. P. Ramesh Assistant Secretary	Regional Office, Chennai	Regional Officer (Incharge), Bengaluru
13	Sh. Arvind Kumar Mishra Assistant Secretary	Regional Office, Noida	Regional Officer (Incharge), Patna
14	Sh. Jagdish Barman Joint Secretary	Regional Officer, Patna	Head, CoE, Guwahati
15	Sh. Yash Makkar Deputy Secretary	Head, CoE, Bengaluru	Head, CoE, Delhi West
16	Sh. Surender Singh Rawat Assistant Secretary	CoE, Bengaluru	Head, CoE, Bengaluru
17	Sh. Anil Kumar Jain Assistant Secretary	Regional Office, Ajmer	Head, CoE, Ajmer
18	Sh. Rajiv Kumar Sharma Assistant Secretary	Head, CoE, Ajmer	Assistant Secretary, CoE, Chandigarh
19	Sh. Jaiprakash Chaturvedi Joint Secretary	Regional Officer, Dehradun	Joint Secretary (A&L), CBSE HQ.
20	Shri Sachin Thakur Deputy Secretary	Regional Officer, Thiruvananthapuram	Affiliation Unit, CBSE HQ
21	Smt. Satpal Kaur Deputy Secretary	Regional Officer, Ajmer	Administration II & III, CBSE HQ
22	Sh. Manish Agarwal Deputy Secretary	Head, CoE, Delhi West	Coordination Unit, CBSE HQ.

No TA/DA shall be payable to the officers at S.No. 04, 14, 15, 18, 19, 20 & 21 as the transfer is made on their own request.

The above officers are directed to join at their new place of posting and submit their joining report to Administration (Headquarters).

Anurag Tripathi
(Anurag Tripathi)
Secretary



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE.
2. CVO, CBSE / All Heads of Departments / Regional Directors of the Board.
3. IAFA / Joint Secretary (A&L) / Joint Secretary (Affiliation) / Joint Secretary (Coordination) / Joint Secretary (IT) / Head (Media & PR), CBSE.
4. All the Regional Officers / Head of CoEs of the Board.
5. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
6. DDO concerned.
7. Individual concerned.
8. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
9. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.

Anurag Tripathi

**(Anurag Tripathi)
Secretary**

The TADA will be provided to the officers at S.No. 14, 15, 16, 18, 20 & 21 as the transfer is made on their own request.
The office officers are directed to join at their new place of posting and report to Administration Department.

Anurag Tripathi
**(Anurag Tripathi)
Secretary**



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/1856068-167 दिनांक:- 10.10.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.10.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 11 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹6600/-) में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती विजय टोपो (सेवानिवृत्ति: 30.08.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्री स्नेहमोय दत्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
3.	श्री गुलाब सिंह	प्रशासन II एवं III, मुख्यालय	प्रशासन (कार्मिक-ब), मुख्यालय
4.	श्रीमती सुषमा रानी ग्रोवर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 13.10.2022 तक संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं: सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

क्र. संख्या 2 तथा 4 पर वर्णित अधिकारियों को टी.ए. / डी.ए. नियमानुसार देय होगा।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
3. आईएफए/संयुक्त सचिव (प्र. एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) /संयुक्त सचिव (आई.टी.)/ प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.): 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

6. संबंधित डीडीओ |
7. सम्बंधित व्यक्ति |
8. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ |
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ |
10. अधीक्षक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई) |
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल |
12. स्क्रेप फाइल / सूचना पट्ट |



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
No. CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2022/1854955-5054 Dated: 14.09.2022

OFFICE ORDER

After due consideration, the following transfers are made with immediate effect:-

S. No.	Name & designation	From	To
1.	Sh. Narayan Khushlani, Section Officer	Affiliation, Headquarters	RO, Ajmer
2.	Sh. Kishan Lal, Superintendent	RO, Chandigarh	COE, Delhi (East)
3.	Sh. Narender Kumar, Superintendent	RO, Ajmer	RO, Delhi (East)
4.	Sh. Priye Ranjan Prasad Karn, Superintendent	Legal Cell, Headquarters	RO, Prayagraj
5.	Sh. Sahil Bhutani, Superintendent	RO, Dehradun	RO, Panchkula
6.	Sh. Rohit, Superintendent	RO, Chennai	Affiliation Unit, Headquarters
7.	Sh. Anil Kumar Nahara, Superintendent	RO, Ajmer	CTET Unit
8.	Sh. Yogesh, Superintendent	RO, Chennai	Secret Unit, Headquarters
9.	Sh. Deepak Kumar Mishra, Superintendent	RO, Bhubaneswar	RO, Patna
10.	Sh. Arjun Kumar, Superintendent	RO, Guwahati	RO, Patna
11.	Sh. Rajesh Kumar Goutam, Superintendent	RO, Thiruvananthapuram	Professional Examinations Unit
12.	Sh. Ashok Kumar Gupta, Superintendent	RO, Thiruvananthapuram	RO, Bhopal
13.	Sh. Surya Prakash Verma, Senior Assistant	RO, Prayagraj	RO, Noida
14.	Sh. Chandan Kumar, Senior Assistant	RO, Bhubaneswar	RO, Patna
15.	Sh. Yogesh Kumar, Senior Assistant	RO, Prayagraj	Recruitment Cell, Headquarters
16.	Sh. Anuj Minj, Senior Assistant	RO, Bhubaneswar	RO, Noida
17.	Sh. Vijay Kumar, Senior Assistant	RO, Bhubaneswar	O/o Controller of Examinations, Headquarters
18.	Sh. Dilip Kumar Meena, Senior Assistant	RO, Thiruvananthapuram	RO, Ajmer
19.	Sh. Naveen Prakash, Senior Assistant	RO, Dehradun	RO, Patna
20.	Sh. Vikas, Senior Assistant	RO, Thiruvananthapuram	Recruitment Cell, Headquarters
21.	Sh. Amarjit Manjhi, Senior Assistant	RO, Thiruvananthapuram	Personnel Unit, Headquarters
22.	Sh. Chandan Kumar, Senior Assistant	RO, Dehradun	RO, Patna

A f



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

23.	Smt. V. Savithiri, Private Secretary	RO, Bengaluru	RO, Chennai
24.	Sh. Vijay Kumar, Private Secretary	RO, Bhopal	O/o Joint Secretary (A&L), Headquarters
25.	Smt. Devika Kunwar, Private Secretary	RO, Dehradun	Academics Unit, Rouse Avenue
26.	Sh. Narender Kumar, Personal Assistant	RO, Thiruvananthapuram	Skill Education Unit
27.	Sh. Pankaj Gupta, Personal Assistant	RO, Patna	Legal Cell, Headquarters
28.	Sh. Ravindra kumar Katke, Junior Accounts Officer (On deputation in CBSE)	RO, Thiruvananthapuram	RO, Pune
29.	Smt. Nikita Saini, Junior Accounts Officer	RO, Dehradun	RO, Panchkula
30.	Sh. Varun Kapoor, Junior Accounts Officer	AC & B Wing, Hqrs	RO, Prayagraj
31.	Smt. Shikha Mandoliya, Junior Accounts Officer	RO, Prayagraj	AC & B Wing, Headquarters
32.	Sh. Mohit Kumar, Junior Translation Officer	RO, Chennai	RO, Delhi West
33.	Sh. Praveen Kumar, Junior Engineer	RO, Prayagraj	Maintenance Unit, Headquarters

The above officers/officials are directed to join at their new place of posting and submit their joining report to Administration (Headquarters).

No TA/DA shall be payable as the transfer is made on their own request.

Anurag Tripathi

(Anurag Tripathi)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE.
2. CVO, CBSE/All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. IAFA/Joint Secretary (A&L) / Joint Secretary (Affiliation) /Joint Secretary (Coordination) / Joint Secretary (IT)/ Head (Media & PR), CBSE.
4. All the Regional Officers/Head of CoEs of the Board.
5. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
6. DDO concerned.
7. Individual concerned.
8. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
9. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/3(6)/2022/18501-110

Dated: 17.08.2022

OFFICE ORDER

This is with reference to the Office Order no. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2022/184501-600 dated 03.08.2022 vide which Smt. Arunima Mazumdar has been promoted (notional basis) to the post of Joint Secretary (Academics/Skill Education/Training) and posted at Academics Unit, Rouse Avenue, New Delhi.

As per Office Memorandum No. CBSE/Secy/2018 dated 26th March, 2018, the Regional Officer is the Link Officer/Officiating Officer of COE in absence of the COE Head/In-Charge.

Accordingly, the charge of Centre of Excellence (COE), Chennai is hereby assigned to the Regional Officer, Chennai till further orders.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Sanjib Das)
Joint Secretary (A&L)

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairperson, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairperson, CBSE.
2. SPS to Secretary, CBSE.
3. CVO/ All Heads of Departments/ Regional Directors of the Board.
4. IAFA/ Joint Secretary (A&L)/ Joint Secretary (Affiliation)/ Joint Secretary (Coordination)/ Joint Secretary (IT)/ Head (Media & PR), CBSE.
5. All the Regional Officers/Head of CoEs of the Board.
6. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
7. President, Shiksha Board Staff Welfare Association
8. President, All India CBSE SC/ST Employees Welfare Association
9. DA (APAR/Vig./GSLI).
10. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation.
11. Scrap file/ Guard File/ Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



के.मा.शि.बो. / भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/184763-184862

दिनांक:-05.08.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 05.08.2022को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7(पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती अराधना माथुर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्रीमती जनक रानी (सेवानिवृति: 29.02.2024)	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
3.	श्रीमती प्रेमवती जाटव (सेवानिवृति: 31.05.2024)	सी.टी.ई.टी. शाखा	सी.टी.ई.टी. शाखा
4.	श्रीमती इंदु बाला अरोरा (सेवानिवृति: 31.01.2024)	बी एंड सी शाखा, मुख्यालय	बी एंड सी शाखा, मुख्यालय
5.	श्रीमती लीला दास (सेवानिवृति: 31.01.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
6.	श्री संजीव सिंह परमार (SBSWAMहासचिव)	व्यावसायिक परीक्षा शाखा	व्यावसायिक परीक्षा शाखा

क्र. संख्या 1 पर वर्णित कर्मचारी को दिनांक 09.08.2022 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा तथा उनका वेतन दिनांक 10.08.2022 से उनके वर्तमान तैनाती स्थान/कार्यालय से निर्गत (disbursed) नहीं किया जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियोंको FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

क्र. संख्या 1 पर वर्णित कर्मचारी को टीए / डीए नियमानुसार देय होगा।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष सीबीएसई के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदया के सूचना हेतु।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, सीबीएसई।
3. आईएफए / संयुक्त सचिव (प्र.एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय)/ संयुक्त सचिव (सूचान प्रौद्योगिकी)/प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), सीबीएसई।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अन्य अधिकारी ।
6. संबंधित डीडीओ ।
7. सम्बंधित व्यक्ति ।
8. अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड कल्याण संघ ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय सीबीएसई एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ ।
10. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल ।
12. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट ।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/184663-184762

दिनांक:- 05.08.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 05.08.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर -4 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 2400/-) में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री सत पाल	सी.टी.ई.टी. इकाई	सी.टी.ई.टी. इकाई
2.	श्री जुगल कलिता	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
3.	श्री उमा बसफोर	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
4.	सुश्री सुमित्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
5.	श्री यशपाल घरू	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
6.	श्री सतवीर चौधरी	रखरखाव शाखा, मुख्यालय	रखरखाव शाखा, मुख्यालय

उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष सीबीएसई के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचना हेतु।
2. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, सीबीएसई।
3. आईएफए / संयुक्त सचिव (प्र.एवं वि.)/ संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय)/ संयुक्त सचिव (सूचान प्रौद्योगिकी)/प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), सीबीएसई।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अन्य अधिकारी।
6. संबंधित डीडीओ।
7. सम्बंधित व्यक्ति।
8. अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड कल्याण संघ।
9. अध्यक्ष, अखिल भारतीय सीबीएसई एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
10. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्ट्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/183148-247 दिनांक:- 29.06.2022

कार्यालय आदेश

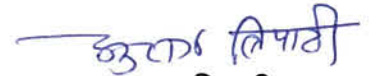
दिनांक 27.06.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (शैक्षणिक) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹5400/-) में विश्लेषक (शैक्षणिक) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती नीमा उप्रेती	शैक्षणिक शाखा, राउज़ एवेन्यू	शैक्षणिक शाखा, राउज़ एवेन्यू
2.	श्रीमती मिनाक्षी डंग	प्रशिक्षण एकक, राउज़ एवेन्यू	प्रशिक्षण एकक, राउज़ एवेन्यू

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं संसीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ हेतु।
2. सचिव के.मा.शि.बो. के एसपीएस - सूचनार्थ हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक के पीपीएस - सूचनार्थ हेतु।
4. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
5. आईएएफए / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) / प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
6. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
7. संयुक्त सचिव (सूचान प्रौद्योगिकी)
8. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
9. संबंधित डीडीओ।
10. सम्बंधित व्यक्ति।
11. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
12. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
13. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
14. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
15. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2. सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/183048-147

दिनांक:- 29.06.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.06.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 11 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹6600/-) में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती रानी हिंगोरानी (सेवानिवृत्ति: 31.08.2023)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्री प्रीतम दास सलुजा	प्रशासन-II, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
3.	श्री प्रदीप कुमार ढींगरा	आर एंड आई, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
4.	श्री लखिंदर चौधरी	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

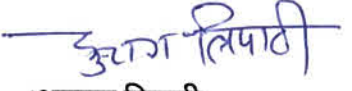
पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

क्रमांक 2, 3 तथा 4 पर वर्णित अधिकारियों को टीए / डीए नियमानुसार देय होगा।


(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ हेतु।
2. सचिव के.मा.शि.बो. के एसपीएस - सूचनार्थ हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक के पीपीएस - सूचनार्थ हेतु।
4. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
5. आईएफए / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय)/ प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
6. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
7. संयुक्त सचिव (सूचन प्रौद्योगिकी)
8. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
9. संबंधित डीडीओ।
10. सम्बंधित व्यक्ति।
11. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
12. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
13. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
14. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
15. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/183150-249 दिनांक:- 29.06.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 28.06.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की आभासी बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत, निम्नलिखित संयुक्त सचिव (शैक्षणिक /प्रत्यायन / कौशल शिक्षा) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13A (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, ₹37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹8900/-) में निदेशक (शैक्षणिक) एवं निदेशक (प्रशिक्षण) के पदों के सापेक्ष पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री राम शंकर	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व) (वर्तमान में ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत)	निदेशक प्रशिक्षण एकक, राउज़ एवेन्यू, दिल्ली
2.	श्री पुष्कर वोहरा	शैक्षणिक शाखा, राउज़ एवेन्यू	निदेशक एवं प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व)

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार निदेशक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

Anurag Tripathi
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ हेतु।
2. सचिव के.मा.शि.बो. के एसपीएस - सूचनार्थ हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक के पीपीएस - सूचनार्थ हेतु।
4. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
5. आईएफए / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय)/ प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
6. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
7. संयुक्त सचिव (सूचान प्रौद्योगिकी)
8. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
9. संबंधित डीडीओ।
10. सम्बंधित व्यक्ति।
11. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
12. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
13. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
14. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
15. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र - 2, साम्प्रदायिक केंद्र, श्री कृष्ण, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, SHRI KRISHNA, DELHI-110092

Phone (ext.) : 011-22593256-59, 22641307-08 Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.ac.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

न: के.मा.शि.बो /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2022/17705-804

दिनांक:- 16.02.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 11.02.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पीबी-2 ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रम सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री दिनेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
2.	श्री उमेश शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
3.	श्री विष्णु दत्त	प्रशासनिक - II, मुख्यालय	प्रशासनिक - II, मुख्यालय
4.	श्री अनिल कुमार नेहरा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्री धर्मवीर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
6.	श्री किशन लाल	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
7.	श्री राकेश शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
8.	श्रीमती कांता रावत	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	रखरखाव शाखा, मुख्यालय
9.	श्री वीर पाल सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
10.	श्री रवि कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
11.	श्री शिव कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
12.	श्रीमती किरण नेगी	सी.टी.ई.टी. इकाई	सी.टी.ई.टी. इकाई
13.	श्रीमती हेमलता	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
14.	श्री प्रभु दयाल	कौशल शिक्षा	कौशल शिक्षा
15.	श्री नरेंद्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
16.	श्री राजन वोहरा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
17.	श्री राम कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
18.	श्री बसंत सिंह	आर एंड आई, मुख्यालय	आर एंड आई, मुख्यालय
19.	श्री जग मोहन	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
20.	श्री राम बीर सिंह नागर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
21.	श्री राम फूल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
22.	सुश्री अंशु सक्सेना	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
23.	श्री प्रभात वशिष्ठ	संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) के कार्यालय	संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) के कार्यालय
24.	सुश्री रीना प्रसाद	उत्कृष्टता केंद्र, भुबनेश्वर	उत्कृष्टता केंद्र, भुबनेश्वर
25.	श्री अर्जुन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
26.	श्री राकेश चतुर्वेदी	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय
27.	श्री नीरज कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
28.	श्री प्रिये रंजन प्रसाद कर्ण	विधि शाखा, मुख्यालय	विधि शाखा, मुख्यालय

अगले पृष्ठ पर जारी है...

Anurag



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

- 2 -

29.	सुश्री शिखा शर्मा	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय
30.	सुश्री मोनिका	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
31.	श्री सतेंदर सिंह असवाल	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय	भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय
32.	श्री राजेश कुमार गौतम	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम
33.	श्री गुरु दत्त रोहिल्ला	विधि शाखा, मुख्यालय	विधि शाखा, मुख्यालय
34.	श्री साहिल भूटानी	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
35.	सुश्री रेनू कैन्ट	आई टी एंड प्रोजेक्ट इकाई	आई टी एंड प्रोजेक्ट इकाई
36.	श्री रोहित कुमार	कार्मिक - ब, मुख्यालय	कार्मिक - ब, मुख्यालय
37.	श्रीमती निरूपा जयंती टोप्पो	आर एंड आई, मुख्यालय	आर एंड आई, मुख्यालय
38.	श्रीमती समोला	जनसंपर्क इकाई, मुख्यालय	जनसंपर्क इकाई, मुख्यालय
39.	श्री जेम्स टी. पाऊथ्यानम्वॉंग	जनसंपर्क इकाई, मुख्यालय	जनसंपर्क इकाई, मुख्यालय
40.	श्रीमती कंचन शालिनी लाकर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
41.	श्री अरविन्द कुमार मिंज	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला

उपरोक्त कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन दिनों के अन्दर संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

उनकी पदोन्नति तैनाती के सम्बंधित स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमों के अनुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उनको FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार अधीक्षक के पद पर पदोन्नति उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर देने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं सीबीएसई / कार्मिक बी / विविध / 2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार वे समूह 'स' से समूह 'ब' के अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

Anurag

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष की सूचना हेतु।
2. सचिव, के.मा.शि.बो. के एसपीएस - सूचना हेतु।
3. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो.।
4. आईएफए / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय) / प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो.।
5. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
6. संयुक्त सचिव (सूचान प्रौद्योगिकी)
7. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अन्य अधिकारी।
8. संबंधित डीडीओ।
9. सम्बंधित व्यक्ति।
10. अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड कल्याण संघ।
11. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो.एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
12. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
13. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
14. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

के.मा.शि.बो. /भर्ती. प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2021/10095-10194

दिनांक:- 28.09.2021

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.09.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 12 (पूर्व संशोधित पीबी-3 ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600/-) में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री अजय कुमार	व्यवसायिक परीक्षा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
2.	श्री विकास कुमार अग्रवाल	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम (अगले आदेश जारी होने तक)
3.	श्री रामवीर	प्रशासन II एवं III, मुख्यालय तथा NAS का अतिरिक्त प्रभार	प्रशासन II एवं III, मुख्यालय तथा NAS का अतिरिक्त प्रभार (अगले आदेश जारी होने तक)
4.	श्रीमती अरविंदर कौर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, अजमेर
5.	श्री राजीब बरुआ	क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

श्री विकास कुमार अग्रवाल की पदोन्नति उप सचिव के पद पर अनंतिम (provisional) है, तथा उनकी पदोन्नति उनके मूल पद (substantive post) पर स्थायीकरण (confirmation) के अधीन हैं।

क्रमांक 1, 4 एवं 5 पर वर्णित अधिकारियों को दिनांक 04.10.2021 (05:00 बजे अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त अधिकारियों का वेतन दिनांक 05.10.2021 से उनके वर्तमान तैनाती स्थान/कार्यालय से निर्गत (disbursed) नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सभी अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए / डीए नियमानुसार देय होगा।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष के सूचना हेतु।
2. सचिव के.मा.शि.बो के एसपीएस - सूचना हेतु।

पृष्ठ 2 पर जारी है...



शिक्षा केंद्र, 2, समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Document Ref. : 011 2266098 83 22044007 08 16/09/2021 10:00:00 AM



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

3. सीवीओ / सभी विभागध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
4. आईएफए / संयुक्त सचिव (सम्बद्धता) / संयुक्त सचिव (समन्वय)/ प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), के.मा.शि.बो।
5. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्कृष्टता केंद्र।
6. संयुक्त सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
7. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अन्य अधिकारी।
8. संबंधित डीडीओ - उपरोक्त सभी कर्मचारियों का वेतन दिनांक 05.10.2021 से वर्तमान तैनाती स्थान से निर्गत (disbursed) नहीं किए जाने के आशय हेतु।
9. सम्बंधित व्यक्ति।
10. अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड कल्याण संघ।
11. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
12. वरिष्ठ सहायक (एपीएआर)/ सम्बंधित सहायक (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
13. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
14. स्ट्रेप फाइल / सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

संख्या के. मा. शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/ 1/(13)/2021/9995-10094

दिनांक: 28.09.2021

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.09.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों को 7 वे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित पीबी - 4 ₹37400-67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700/-) में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:

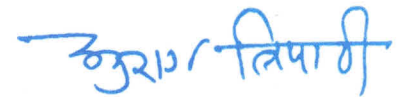
क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर तैनाती स्थान
1.	श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में)
2.	श्री करनैल सिंह	समन्यव शाखा, मुख्यालय	समन्यव शाखा, मुख्यालय
3.	श्री के. श्रीनिवासन	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में)
4.	श्रीमती राज रानी शर्मा (DOR: 31.03.2023)	व्यवसायिक परीक्षा एकक, मुख्यालय	व्यवसायिक परीक्षा एकक, मुख्यालय (अगले आदेश जारी होने तक) (स्थानांतरण नीति की धारा 1.2 के अनुसार)
5.	श्री रणबीर सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु (क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में)

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 04.10.2021 (05:00 बजे अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। पदोन्नति पर की गई तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी अधिकारियों का वेतन दिनांक 05.10.2021 से उनके वर्तमान तैनाती स्थान /कार्यालय से निर्गत (disbursed) नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सभी अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी अधिकारियों को FR 22 (i)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए डीए /नियमानुसार देय होगा।



(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष सीबीएसई के उप सचिव -माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
2. सचिव सीबीएसई के एसपी एस - सूचनार्थ।

पृष्ठ 2 पर जारी है...



शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (toll free) : 011-27509258, 27509259 Website: www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

3. सीवीओ बोर्ड /सभी विभागध्यक्ष / के क्षेत्रीय निदेशक, सीबीएसई।
4. आईएफए / (समन्वय) संयुक्त सचिव / (सम्बद्धता) संयुक्त सचिव / प्रमुख (मीडिया एवं पीआर), सीबीएसई।
5. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय | उत्कृष्टता केंद्र /
6. संयुक्त सचिव) सूचना प्रौद्योगिकी। (
7. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अन्य अधिकारी।
8. संबंधित डीडीओ -उपरोक्त सभी कर्मचारियों का वेतन दिनांक से वर्तमान 05.10.2021 तैनाती स्थान से निर्गत (disbursed) नहीं किए जाने के आशय हेतु।
9. सम्बंधित व्यक्ति।
10. अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड कल्याण संघ।
11. अध्यक्ष, अखिल भारतीय सीबीएसई एससी। एसटी कर्मचारी कल्याण संघ/
12. वरिष्ठ सहायक सम्बंधित सहायक / (एपीएआर) (सतकर्ता/ जीएसएलआई)।
13. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
14. स्कैप फाइल / सूचना पट्ट।
